नीट पेपर लीक मामला

दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से कहा
- दतिया में भाजपा की जीत का दिलाया भरोसा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का भरोसा जताया है।

ग्वालियर प्रवास के दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए आए सिंधिया ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकास का चुनाव है और केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार दतिया के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंधिया ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और उनकी मेहनत के साथ किसी भी तरह का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही अनियमितताओं की जानकारी सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। सरकार इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए होगी त्वरित सुनवाई

सिंधिया ने बताया कि इस मामले में कैबिनेट में एक विधेयक लाया जा रहा है, जिसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इससे पेपर लीक जैसे मामलों की शीघ्र सुनवाई होगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी. उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दो जवानों को जेल

भोपाल, 24 जुलाई. राजधानी में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने विशेष सशस्त्र बल के दो आरक्षकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

टीआई राजेंद्र अहिरवार के अनुसार, मुख्य आरोपी ने 22 जुलाई को अपनी पत्नी के फोन से छात्रा को बेटी के जन्मदिन का झांसा देकर लाल परेड मैदान बुलाया. वहां से वह छात्रा को कार से एमपी नगर स्थित एक मकान में ले गया और बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. इस दौरान दूसरा आरक्षक अपने मासूम बच्चे के साथ बाहर पहरा देता रहा.परिजनों की शिकायत पर कमला नगर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई, जिसे बाद में जहांगीराबाद पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल के साक्ष्य और डिजिटल सबूत जुटाकर जांच में जुटी है.

दो पंचायत सचिव निलंबित

दो ग्राम रोजगार सहायकों को कार्य से विरत कर जांच के आदेश

सीधी, 24 जुलाई. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा गुरुवार को जनपद पंचायत मझौली के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं पाए जाने पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, एक बगिया मां के नाम सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की ग्राम पंचायतवार प्रगति का परीक्षण किया गया। समीक्षा में ग्राम पंचायत डागा एवं ग्राम पंचायत दादर की प्रगति सबसे निम्न स्तर पर पाए जाने पर संबंधित सचिवों के प्रति गंभीर नाराजगी व्यक्त की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश जारी कर ग्राम पंचायत डागा के सचिव रतनलाल केवट तथा ग्राम पंचायत दादर के सचिव चिंतामणि पनिका को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में अत्यंत खराब प्रगति के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिले में अब तक 275 .25 मिमी औसत वर्षा दर्ज

रतलाम। जिले में इस वर्ष अब तक औसतन 275.25 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। जबकि पिछले 24 घन्टों में रतलाम जिले में 7.63 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घन्टों में आलोट में 4.00 मि.मी., जावरा में 2.00 मि.मी., ताल में 3.0 मि.मी., पिपलोदा मे 8.0 मि.मी., बाजना में 6.0 मि.मी., रतलाम में 17.0 मि.मी., रावटी में 6.0 मि.मी. एवं सैलाना में 15.0 मि.मी., वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। विगत 1 जून से अब तक वर्षामापक केन्द्र आलोट में 318.0 मि.मी., जावरा में 304.0 मि.मी., ताल में 248.0 मि.मी., पिपलोदा में 348.0 मि.मी., बाजना में 169.0 मि.मी., रतलाम में 365.0 मि.मी., रावटी में 195.0 मिमी वर्षा दर्ज की.

चेंबर ऑफ कामर्स की नई टीम ने किया पदभार ग्रहण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 24 जुलाई. म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के निर्वाचन-2026 होने के पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष सुरेश बंसल, उपाध्यक्ष संदीप नारायण अग्रवाल, मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव दीपक पमनानी एवं कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल द्वारा आज सायं चेम्बर भवन में पूजा अर्चना के पश्चातसैकड़ों की संख्या में उपस्थित सदस्यगणों के समक्ष सादगी के साथ पदभार ग्रहण किया।

करंट की चपेट में आने से ससुर-बहू की मौत

जबलपुर. सिहोरा थाना अंतर्गत ग्राम महगवां में कपड़े सुखाने के दौरान तार में फैले करंट की चपेट में आने से पूर्व सरपंच ससुर और बहू की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दोनों को बचाने की कोशिश में बेटा भी बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है. महगवां निवासी कृष्णकुमार दुबे (73) पूर्व सरपंच है. शुक्रवार को उनकी बहू मयूरी दुबे (27) आंगन में लगे लोहे के तार पर गीले कपड़े डाल रही थी. आंगन में पानी भरा हुआ था और जमीन गीली थी. कपड़े फैलाते समय मयूरी का हाथ जैसे ही लोहे के तार पर पड़ा, वह उसमें उतर रहे तेज करंट की चपेट में आ गई और तड़पने लगी.

देश सेवा के लिए सक्रिय राजनीति का रास्ता सुगम : नियाज

पूर्व आईएएस ने दिए राजनीति में आने के संकेत

भोपाल, 24 जुलाई. मध्यप्रदेश कैडर के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नियाज खान ने सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दिए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो संदेश के माध्यम से देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि भविष्य में कॉक्रोच जनता पार्टी नाम से कोई राजनीतिक दल बनता है तो वह उससे जुड़ना पसंद करेंगे.

नियाज खान ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और राजनीतिक स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है. ऐसे हालात में उन्हें लगता है कि देश सेवा के लिए सक्रिय राजनीति का रास्ता अपनाना चाहिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह कांग्रेस में जाना चाहते हैं, लेकिन अपने 'उदारवादी हिंदू' विचारों के कारण उन्हें वहां जगह मिलने की उम्मीद नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की ओर से भी उन्हें कोई महत्व नहीं मिला और न ही उनसे कभी संपर्क किया गया. नियाज खान के अनुसार, सरकारी सेवा के दौरान भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई. पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं. उन्होंने अब तक सात उपन्यास लिखे हैं. उनकी पुस्तक पर आधारित वेब सीरीज बनने का दावा भी उन्होंने किया था और इस मामले में श्रेय नहीं मिलने को लेकर निर्माता के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात कही थी. उन्होंने 'ब्राह्मण द ग्रेट' नाम से पुस्तक भी लिखी है, जिसमें सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज से जुड़े विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं.

युवाओं को सही दिशा देने का किया दावा

वीडियो संदेश में नियाज खान ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उनका उद्देश्य युवाओं को सही दिशा देना, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए काम करना है. उन्होंने शिक्षा को मजबूत करने और सामाजिक सुधारों पर जोर देने की बात कही. नियाज खान लंबे समय से सनातन धर्म और हिंदुत्व से जुड़े अपने विचार सार्वजनिक मंचों पर रखते रहे हैं. उनके बयानों को लेकर कई बार राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी होती रही हैं.

गड्ढे में टैक्सी गिरी, 5 घायल

शिवपुरी, 24 जुलाई. जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने पीछे से टैक्सी को टक्कर मार दी. यह हादसा हाईवे-46 पर नई तहसील बदरवास के सामने हुआ. टक्कर के बाद सवारियों से भरी टैक्सी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिससे पांच यात्री घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को टैक्सी से बाहर निकाला गया और बदरवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया. बाद में, जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त टैक्सी को गड्ढे से बाहर निकाला गया.

साइबर ठगी के पैसों से खरीदा सोने का सिक्का

बेंगलुरु पुलिस के नोटिस से खुला राज तो उड़ गए सर्राफा व्यापारी के होश

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 24 जुलाई. शहर के सराफा बाजार स्थित गहना जेम्स एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में एक ठग द्वारा साइबर ठगी के पैसों से 50 ग्राम सोने का सिक्का खरीदने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है.

आरोपी ने ज्वेलर्स को ऑनलाइन पेमेंट कर सिक्का तो खरीद लिया, लेकिन बाद में बेंगलुरु पुलिस का नोटिस मिलने और खाता होल्ड होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. माधव नगर झांसी रोड निवासी 40 वर्षीय अजय मंगल पुत्र राकेश मंगल सराफा कारोबारी हैं और सराफा बाजार में गहना जेम्स एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का संचालन करते हैं. वह अपने शोरूम पर थे, तभी वहां अभिषेक परिहार नाम का एक व्यक्ति पहुंचा. उसने 50 ग्राम वजनी सोने का सिक्का खरीदने का सौदा तय किया और एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपये एनईएफटी व 10 हजार रुपये आईएमपीएस के जरिए कारोबारी के बैंक खाते में जमा कराए. इसके अगले दिन 5 अप्रैल को आरोपी पुनः दुकान पर आया और बाकी रकम चुकाते हुए 5 लाख व 1.41 लाख रुपये बैंक ट्रांसफर से जमा किए तथा 52,900 रुपये नकद दिए. कारोबारी ने नियमानुसार पक्का जीएसटी बिल जारी कर उसे सोने का सिक्का सौंप दिया.

अकाउंट हुआ होल्ड, तब चला ठगी का पता

सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक सर्राफा कारोबारी का अकाउंट होल्ड हो गया. बैंक ने ईमेल के जरिए जानकारी दी कि उनके खाते में जमा कराई गई 5 .10 लाख रुपये की राशि को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा होल्ड कर दिया गया है.

पूर्व जज गिरिबाला की जमानत पर फैसला आज

भोपाल, 24 जुलाई. चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. अब अदालत शनिवार को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी. सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि वह एक महिला हैं और उनकी उम्र भी अधिक है. स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर उन्हें जमानत दिए जाने की मांग की गई. वहीं, सीबीआई ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि केवल महिला होने के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती. सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस मामले की मृतका भी एक महिला थी. इसलिए लिंग के आधार पर जमानत का कोई औचित्य नहीं है. सीबीआई ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की.

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

PhoenixARC

(पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, वालेस टॉवर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057.

टेलीफोन : 022-6849 2450, **फैक्स :** 022-6741 2313

सीआईएन : U67190MH2007PLC168303

ई-मेल : info@phoenixarc.co.in

वेबसाइट : www.phoenixarc.co.in

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) ('उक्त अधिनियम') के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए. ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने असाइनमेंट समझौते के माध्यम से दिनांक 29-दिसंबर-2025 को उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, जो IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न हुए हैं और अंतर्निहित अचल संपत्ति को फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिया है, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है - वित्तीय वर्ष 26-14 ('फीनिक्स') सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए. अतः उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.

ऋणकर्ता का नाम/ सह-ऋणकर्ता का नाम/ गारंटर का नाम/ LAN नंबर	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया राशि (रुपये में)	मांग सूचना की तिथि	कब्जा प्राप्त करने की तिथि
श्री संदीप मुलिक श्रीमती अरुणा मुलिक (ऋण खाता संख्या : 950635)	प्लॉट संख्या 209, चिनार लेक व्यू कॉलोनी, चरण I, ग्राम महूगाँव, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001, भारत में स्थित संपत्ति. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्र : 450 .00, 400 .00, 500 .00 . सीमाएँ : उत्तर : प्लॉट संख्या 208, दक्षिण : प्लॉट संख्या 210, पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम : प्लॉट संख्या 228 .	रु. 191917/- (रु. एक लाख इंक्यानवे हजार नौ सौ सत्रह मात्र)	25/07/ 2025	22/07/ 2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं.

स्थान : इंदौर | **हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,**

दिनांक : 25-07-2026 | **फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)**

कटनी में दो लोगों से 16 लाख की ऑनलाइन ठगी

- एनकेजे थाना क्षेत्र में 15 .74 लाख की ठगी
- साइबर अपराधियों के हौसले हो रहे बुलंद

नवभारत न्यूज

कटनी, 24 जुलाई. जिले में साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऑनलाइन ठगी के दो अलग-अलग मामलों में जालसाजों ने दो लोगों को निशाना बनाकर 16 लाख 43 हजार रुपये से अधिक की राशि ठग ली. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है.

पहला और बड़ा मामला एनकेजे थाना क्षेत्र का है. यहां दुर्गा चौक, नायरा पेट्रोल पंप के पास रहने वाले सत्येंद्र कुमार पटेल (38 वर्ष), पिता रोहणी प्रसाद पटेल को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया.

पुलिस के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित को झांसे में लेकर उनके साथ 15 लाख 74 हजार 999 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर दी. मामले की शिकायत मिलने पर एनकेजे पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 319(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है. मामले की जांच प्रधान आरक्षक राजकुमार शर्मा द्वारा की जा रही है. दूसरा मामला माधवनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां खेरवाकला निवासी रमाकांत तिवारी (35 वर्ष), पिता सुशील कुमार तिवारी को अज्ञात ठग ने यूपीआई के माध्यम से निशाना बनाया.

जानकारी के अनुसार शक्ति मंदिर समदड़िया के पास आरोपी ने पीड़ित को किसी बहाने से झांसे में लिया और उनके खाते से 68 हजार 764 रुपये की राशि निकाल ली. शिकायत पर माधवनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने की सतर्क रहने की अपील

लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी, यूपीआई पिन या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें. यदि किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी या संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

नशे से परेशान युवक ने खुद को मारी गोली

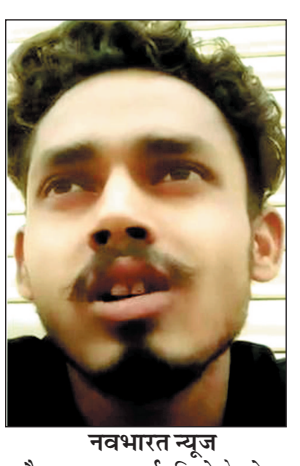

नवभारत न्यूज

मुरैना, 24 जुलाई. जिले के पोरसा कस्बे में शुक्रवार दोपहर एक 20 वर्षीय युवक ने कट्टे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए नशे की लत को जिम्मेदार बताया. वीडियो में उसने एक मेडिकल स्टोर पर वर्षों से नशे के इंजेक्शन बेचने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है. घटना के बाद पुलिस ने संबंधित मेडिकल स्टोर को सील कर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी है. मृतक की पहचान सर्वेश राठौर (20) पुत्र राजू राठौर, निवासी गांधी नगर, पोरसा के रूप में हुई है. उसने अपने घर के सामने गली में देशी कट्टे से सीने में गोली मार ली.गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. युवक ने पोरसा के अटेर रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वहीं से उसे लगातार नशे के इंजेक्शन मिलते रहे. उसने यह भी कहा कि पोरसा के कई अन्य युवा भी इसी तरह नशे की गिरफ्त में हैं.

मौत से पहले बनाए वीडियो में कहा...

4 साल में 10 से 12 लाख रुपए नशे में बर्बाद किए आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में सर्वेश ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से नशे के इंजेक्शन का आदी हो चुका था. उसने दावा किया कि इस दौरान उसने 10 से 12 लाख रुपए नशे पर खर्च कर दिए .युवक ने कहा कि जब भी वह नशा करता था, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती थी और वह इस लत से बाहर नहीं निकल पा रहा था.

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025

CIN: U65900DL2020PLC366027

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8 (1)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतियत्करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') के तहत शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ताओं/पक्षों से उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया था. नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए इसके द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है. विशेष रूप से उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है. विशेष रूप से यहां उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को इसके द्वारा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही अनुबंधात्मक दर पर भविष्य के ब्याज, आकस्मिक खर्चों, लागतों और शुल्कों आदि के लिए भी उत्तरदायी होगा.

उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं)/बंधककर्ता (ओं) का नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस की तारीख और राशि और कब्जा नोटिस की तारीख और खाता संख्या
1. श्री अमर नायक सुपुत्र श्री कंवर लाल नायक (उधारकर्ता) 128, वार्ड नं. 4, चामुंडा माता के सामने, गायत्री मोहल्ला, सुवाखेड़ा, जिला नीमच, म.प्र., 458330, **2. श्री बघीराम नायक सुपुत्र श्री कंवर लाल नायक (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता)** 118, नायक मोहल्ला, ग्राम सुवाखेड़ा, तहसील जावद, जिला नीमच, म.प्र., 458330, **3. श्रीमती गायत्री नायक पत्नी श्री बघीराम नायक (सह-उधारकर्ता)** 118, नायक मोहल्ला, ग्राम सुवाखेड़ा, तहसील जावद, जिला नीमच, म.प्र., 458330, **4. श्रीमती प्रेम बाई नायक पत्नी श्री कंवर लाल नायक (सह-उधारकर्ता)** 118, वार्ड नं. 4, चामुंडा माता के सामने, गायत्री मोहल्ला, सुवाखेड़ा, जिला नीमच, म.प्र., 458330.	संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक पंजीकृत संपत्ति पर बंधक : आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग फुट यानी 130 .06 वर्ग मीटर है, जो पीएच नंबर 18, वार्ड नंबर 04, सुवाखेड़ा, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश में स्थित है. उप-पंजीयक कार्यालय क्रमांक MP279462024A11311123, दिनांक 07-11-2024 में पंजीकृत. श्री बघीराम नायक सुपुत्र श्री कंवर लाल नायक के नाम पर. सीमाएं : पूर्व : कंवर लाल नायक का घर, पश्चिम : सार्वजनिक सड़क, उत्तर : मधु लाल का घर, दक्षिण : रमेश नायक का घर.	**मांग नोटिस की तारीख :** 13-05-2026 **कब्जा नोटिस की तारीख :** 24-07-2026 **बकाया राशि : रु. 2,40,000/-** (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 103041547976 के विरुद्ध.
1. श्री कैलाश चंद्र काशीराम सुपुत्र श्री काशीराम (उधारकर्ता/बंधककर्ता) ग्राम बिसनखेड़ा, तराना, डाकखाना : इटावा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665, **2. श्रीमती लाड कुंवर पत्नी श्री कैलाश चंद्र (सह-उधारकर्ता)** ग्राम बिसनखेड़ा, तराना, डाकखाना : इटावा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665, **3. श्री अजय सुपुत्र कैलाश (सह-उधारकर्ता)** ग्राम बिसनखेड़ा, तराना, डाकखाना : इटावा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665	संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक : आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 980 वर्ग फुट यानी 91 .05 वर्ग मीटर है, जो पीएच नंबर 08, खसरा नंबर 111, सर्वे नंबर 178, प्लॉट/मकान नंबर 87, ग्राम और ग्राम पंचायत बिसनखेड़ा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है. उप-पंजीयक कार्यालय क्रमांक MP17IGR18842025A100038541, दिनांक 21-01-2025 में पंजीकृत. श्री कैलाश चंद्र काशीराम सुपुत्र श्री काशीराम के नाम पर. सीमाएं : पूर्व : सार्वजनिक सड़क, पश्चिम : सार्वजनिक सड़क और छगनलाल का प्लॉट, उत्तर : भूली बाई विक्रम, दक्षिण : कचरालाल जी का मकान.	**मांग नोटिस की तारीख :** 13-05-2026 **कब्जा नोटिस की तारीख :** 24-07-2026 **बकाया राशि : रु. 3,05,000/-** (रुपये तीन लाख पांच हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 103041550520 के विरुद्ध.

दिनांक : 24/07/2026 | **अधिकृत अधिकारी**

स्थान : नोएडा | **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए**

निरीक्षण | हाईकोर्ट ने कहा- हैदराबाद से लाये रेस के घोड़े किसे और कब बेचे पेश करें ब्यौरा...

फार्म हाउस में संचालित हो रही है अवैध रूप से डेरी

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 24 जुलाई. हैदराबाद से जबलपुर लाये गये घोडे की मौतों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश रिपोर्ट में बताया गया कि तीन पशु चिकित्सक तथा थाना प्रभारी के द्वारा फार्म हाउस का निरीक्षण किया गया.

फार्म हाउस में डेरी का संचालन होना पाया गया. याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि उन्होंने फार्म हाउस में निरीक्षण के लिए पनागर थाना प्रभारी से संपर्क किया था. थाना प्रभारी ने महाधिवक्ता कार्यालय से निर्देश नही प्राप्त होने की जानकारी दी थी. उनके बिना ही फार्म हाउस का निरीक्षण करते हुए जांच रिपोर्ट पेश की गयी है.

जबलपुर निवासी पशु प्रेमी सिमरन इस्सर की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि हैदराबाद निवासी सुरेश पाल गुडूहार्स पावर लीग के सूत्रधार है. हैदराबाद रेस क्लब में दो घोड़ों की रेस कराकर उन्होने ट्रोपंग करेठस्ता नाम एप के माध्यम से फिलीपिंग में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हुए सट्टा लगवाया. इस संबंध में फिलीपिंग सरकार ने केंद्र सरकार से शिकायत की थी. शिकायत के बाद उन्होंने इसे बंद कर दिया था. सुरेश पालगुडू के पास 150 से अधिक घोड़े थे और उन्होंने चार माह पूर्व कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया था. भोजन नहीं मिलने के कारण लगभग 90 घोड़ों की मौत हो गई थी. साक्ष्य छिपाने के लिए घोड़ों को नियम विरुद्ध तरीके से 29 अप्रैल से 3 मई 2025 को 57 घोडे प्रशासन व पशु विभाग को सूचित किये बिना जबलपुर लगाकर सचिन तिवारी के द्वारा पनागर के रैपुरा में रखा गया है.

पूर्व में केयरटेकर सचिन तिवारी ने हाईकोर्ट में पेश हफलनामा में बताया था कि हैदराबाद से लाये गये 57 घोड़ों में 19 की मौत हो गयी है. इसके अलावा 22 घोडो को बेच दिया गया है और तीन नये घोडे खरीदे गये है. वर्तमान में उसके पास 19 घोड़े है, जिनकी खुराक व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

घोडे स्वस्थ है और उनकी देखरेख में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है. याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान युगलपी